राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1548, 1549, 1550, 1551, 1552 व 1553/2013/अलवर.

मैसर्स के.ई.आई. इण्डस्ट्रीज लि., स्पेशल, 919, 920, 922
रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी, जिला–अलवर । .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त–तृतीय, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

- **श्री सुनील शर्मा, सदस्य**
- **श्री मदन लाल, सदस्य**

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक। ......अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03.1[illegible].2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा छः अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक **30.05.2013** के विरूद्ध पेश की गयी हैं, **जो क्रमशः अपील संख्या– 49, 50, 51, 58, 59, व 60/आर. वेट/2012–13/उपा/अपील्स/अलवर** के सम्बन्ध में है तथा जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61, व 65 के तहत् पारित पृथक–पृथक् निर्धारण आदेश, जो **निर्धारण वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2006–07, 2007–08, व 2008–09** के संबंध में कायम की गयी मांग राशियां, जो **तालिका–I** में अंकित है, को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया गया है।

तालिका–I (राशि रू.में)

अपील संख्या	निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण आदेश दिनांक	आरोपित अंतर कर	अनुवर्ती ब्याज
1548/13/अलवर	2009–10	21.05.2012	34,74,334/–	10,46,468/–
1549/13/अलवर	2010–11	21.05.2012	44,23,963/–	8,40,553/–
1550/13/अलवर	2011–12	21.05.2012	7,82,066/–	83,312/–
1551/13/अलवर	2006–07	31.05.2012	35,50,078/–	23,78,552/–
1552/13/अलवर	2007–08	31.05.2012	25,64,630/–	14,10,546/–
1553/13/अलवर	2008–09	31.05.2012	22,50,016/–	9,67,507/–

लगातार..........2

2. चूंकि हस्तगत छः प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य है। अतः इन छः प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है ।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–तृतीय जयपुर, (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी, जो कि वायर एवम् केबल एवम् स्टेनलैस स्टील वायर का विनिर्माण कर, राज्य में एवम् अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में कय–विकय करता है, के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 06.09.2011 को उप–महाप्रबंधक (वित्त लेखा एवम् वाणिज्य) श्री एस.एन.हाशमी की उपस्थिति में किया गया। जांच अधिकारी ने जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में बिकीत उत्पाद "स्टेनलैस स्टील वायर" का विकय अधिनियम की अनुसूची–IV के अनुसार 4/5 प्रतिशत मानकर, उक्त के विक्रय पर 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर, राजकोष में जमा करवाया गया, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उक्त उत्पाद "स्टेनलैस स्टील वायर" केन्द्रीय विकय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 (IV) में वर्णित घोषित वस्तु "आयरन एवम् स्टील" की श्रेणी में अधिसूचित/अंकित नहीं है। अतः जांच अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिकीत उत्पाद "स्टेनलैस स्टील वायर" को अधिनियम की अनुसूची–V के अनुसार 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित किया गया। अतः सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–तृतीय, जयपुर, द्वारा प्रथम दृष्ट्या करापवंचन का प्रकरण होने के कारण, समस्त प्रकरण अग्रिम निर्धारण कार्यवाही हेतु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किये गये । प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को आलोच्य अवधियों की विवादित बिक्री पर अन्तर कर, ब्याज व शास्ति आरोपण हेतु अधिनियम की धारा 25 के तहत् पृथक्–पृथक् कारण बताओ नोटिसेज जारी किये गये। जारी नोटिसेज की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किये गये । अन्ततः प्रस्तुत जवाब पर विचार कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार किया जाकर, बिकीत "स्टेनलैस स्टील वायर" को अधिनियम की अनुसूची–V के अनुसार 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर

लगातार..........3

योग्य होना अवधारित कर, तालिकानुसार अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज व करापवंचन के अपाराध में अधिनियम की धारा 61 के तहत् कर की दोगुना शास्ति आरोपित कर, मांग राशियां कायम कर, पृथक्–पृथक निर्धारण आदेश पारित किये गये । उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष पृथक्–पृथक् अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये संयुक्तादेश दिनांक 30.05.2013 के प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को यथावत रख, अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्तियों को अपास्त कर दिया गया । अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा तालिका–I अनुसार कायम रखी गयी कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों के विरूद्ध यह छः अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया कि **राज्य सरकार ने जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ.12(59) एफडी/टैक्स/2014–13 दिनांक 14.07.2014 व अधिसूचना क्रमांक एफ.12(59) एफडी/टैक्स/2014–69 दिनांक 18.07.2014** के अनुसूची IV में किये गये संशोधन, जिसमें अनुसूची IV के संबंध में पूर्व में जारी विज्ञप्ति का अपवर्जन किया गया है । अतः उपर्युक्तानुसार अनुसूची IV के इन्द्राज संख्या 201 में "Stainless steel wire and stainless steel wire rod दिनांक **01.04.2006** शामिल हो जाने के कारण, अपीलार्थी द्वारा विक्रीत उत्पाद "Stainless steel wire and stainless steel wire rod" की श्रेणी में है। अतः इस पर दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 14.04.2011 तक कर दर 4 प्रतिशत एवम् दिनांक 15.11.2011 से 5 प्रतिशत है, न कि 12.5/14 प्रतिशत। कथन किया कि पश्चातवर्ती जारी उपर्युक्त वर्णित अधिसूचनाओं के आलोक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं रह गये हैं । अतः राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचनाओं के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित संयुक्तादेश अभिखण्डित एवम् अपास्त कर, **"स्टेनलैस स्टील वायर"** को "Stainless steel wire and stainless steel wire rod" में शामिल होने के कारण, इस पर कर दर 4/5 प्रतिशत घोषित करने की प्रार्थना की गयी ।

8. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर,

लगातार..........4

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । विवादाधीन आदेश का अध्ययन कर, इस संबंध में अधिनियम की अनुसूची IV के पार्ट–बी के सुसंगत इन्द्राजों का अध्ययन, उद्धरित अधिसूचनाओं के आलोक में किया गया। हस्तगत प्रकरणों में इस पीठ के समक्ष जो बिन्दु निर्णयार्थ है, वह यह कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद "स्टेनलैस स्टील वायर" पर कर दर राज्य सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 14.07.2014 व दिनांक 18.07.2014 के आलोक में क्या है ? इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूची IV के पार्ट–"बी" के इन्द्राज संख्या 201 को संशोधित कर, **"Stainless Steel wire and stainless steel wire rod"** को प्रतिस्थापित कर दिया है तथा उक्त को जरिये अधिसूचना दिनांक 14.07.2014 व दिनांक 18.07.2014 से भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने के कारण, उक्त पर कर दायित्व दिनांक 01.04.2006 दिनांक 14.04.2011 तक व दिनांक 15.04.2011 से आदिनांक तक 4 एवम् 5 प्रतिशत है क्योंकि पूर्व के इन्द्राज संख्या 201 का स्वरूप बदल गया है तथा इसमें **"Stainless Steel wire and stainless steel wire rod"** अंकित कर दिये जाने के कारण, अपीलार्थी व्यवहारी द्वार बिक्रीत उत्पाद **"स्टेनलैस स्टील वायर"** भी इसमें शामिल है । लिहाजा, उक्त बिन्दु पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः पारित आदेशों को अभिखण्डित एवम् अपास्त कर, **"स्टेनलैस स्टील वायर"** पर कर दर दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 14.04.2011 तक 4 प्रतिशत तत्पश्चात् दिनांक 15.04.2011 से 5 प्रतिशत होने के कारण, इन पर कर दायित्व तद्नुसार 4/5 प्रतिशत की दर से अभिनिर्धारित किया जाता है ।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

3.11.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य